संशोधित कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के संशोधित आदेश संख्या–624(1)/राजस्व सहायक/2023–24 दिनांक अक्टूबर 30, 2024 के द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 30–10–2024 दीपावली (नरक चतुर्दशी) के स्थान पर तीसरा स्थानीय अवकाश दिनांक 24–12–2024 को क्रिसमस (पूर्व संध्या) दिन मंगलवार हेतु कोषागार/उप कोषागारो को छोडकर घोषित किया गया है। तद्नुसार इस कार्यालय के पत्रांक–4620/रा0सहा0 दिनांक दिसम्बर 30, 2023 के द्वारा जारी सार्वजनिक अवकाश सूची को उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

2– मुख्य शिक्षाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3605–12/लो0सं0दि0/2024–25 दिनांक 14–10–2024 के अनुसार दिनांक 24 दिसम्बर को समस्त विद्यालयों (राजकीय/अर्द्वशासकीय/निजी) में श्री इन्द्रमणी बडौनी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाये जाने के निर्देश निर्गत किए गये है। तद्नुसार मुख्य शिक्षाधिकारी हरिद्वार द्वारा श्री इन्द्रमणी बडौनी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 24–12–2024 को लोक संस्कृति दिवस मनाये जाने हेतु समस्त खण्ड शिक्षाधिकारियो को दिनांक 09–12–2024 को पत्र निर्गत किया गया हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय के संशोधित आदेश संख्या–624(1)/राजस्व सहायक/2024–25 दिनांक अक्टूबर 30, 2024 के द्वारा दिनांक 24–12–2024 को क्रिसमस (पूर्व संध्या) दिन मंगलवार हेतु घोषित स्थानीय अवकाश एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

(कर्मेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्याः 738 /राजस्व सहायक/2024–25 हरिद्वारः: दिनांकः दिसम्बर 12 ,2024

प्रतिलिपिः – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
2– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
3– अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/(प्रशासन)/नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार।
4– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद हरिद्वार।
5– सभी सम्बंधित अधिकारीगण जनपद हरिद्वार।
6–जिला सूचनाधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश/विज्ञाप्ति का प्रकाशन 02 स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क करना सुनिश्चित करेगें।
7–श्री रमेश उनियाल, संस्थापक, इंद्रमणी बडौनी स्मृति मंच, उत्तराखण्ड।

जिलाधिकारी
हरिद्वार।